

	कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहटा, पटना EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION, MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BIHTA, PATNA Email : ms-bihta.bh@esic.nic.in Phone : 8544429148		श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA
---	---	--	---

No. Pt-423/ESIC-BIHTA/S.H./2021

दिनांक 08-12-2023

परिपत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र सं A-20/20/Workshop/2023-E-II दिनांक 06-12-2023 की प्रति इस परिपत्र के साथ संलग्न की जाती है जो, Organizing Sexual Harassment at Workplace Prevention के संबंध में है। जिसके साथ Ministry of Labour and Employment के द्वारा प्रेषित D.O. Letter No. 13016/2/2017-WW-Part (1) दिनांक 22-11-2023 की प्रति संलग्न करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि दिनांक 9th December, 2023 को Sexual Harassment at Workplace Prevention Week को मनाया जाए।

उक्त के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बताते हुए केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 अधिसूचित की गयी है। अधिसूचना के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी को तत्परता और शिष्टाचार, सरकारी नीतियों का पालन एवं कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध करना चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न संबंधी हरकत नहीं करेगा। इस नियम के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्रत्यक्ष अशोभनीय यौन प्रेरित आचरण अथवा अन्यथा शामिल है जैसे :-

- 1 शारीरिक संपर्क और छेरेछार करना। (Physical contact and advances.)
- 2 यौन संबंध स्थापित करने के लिए आग्रह। (Demand or request for sexual favours.)
- 3 अश्लील फबतियाँ कसना। (Sexually coloured remarks.)
- 4 अश्लील चित्र दिखाना, (Showing pornography.) अथवा
- 5 अश्लील प्रकृति का कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक अथवा अमौखिक आचरण करना। (Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.)

अतः आपको यह निर्देश दी जाती है कि आपके द्वारा उक्त केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 अधिसूचना का अक्षरसः पालन किया जाए।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए, Internal Complaints Committee in connection with the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 का इस कार्यालय द्वारा गठित किया गया है।

यह परिपत्र सक्षम पदाधिकारी महोदय के अनुमोदन के जारी है।

(मुकेश कुमार),
उप निदेशक (प्रशासन)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. शाखाधिकारी, प्रशासन/वित्त एवं लेखा/पी.एम.डी./General/Cach Branch, क.रा.बी.निगम महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. डीन कार्यालय, क.रा.बी.निगम महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, क.रा.बी.निगम महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. DMS-I & DMS-II, क.रा.बी.निगम महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. सभी चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.निगम महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. सभी फरमासिस्ट/नर्सिंग एवं पारा मेडिकल स्टाफ क.रा.बी.निगम महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. नोटिस बोर्ड।
8. Website Content Manager for uploading the Circular on ESICMCH, Bihta Website.

Signed by Mukesh Kumar
Date: 09-12-2023 12:27:04
Reason: Approved

उप निदेशक (प्रशासन)

o/c